तारीख	हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible] पर रामजीत वगै 82/13	
3.11	वादिभाषण तथा प्रारंभ कार्य स्थगन रखा गया। स्थानांतरी पूर्वानुसार दिनांक 28.3.17 को पेश हो।	
4(1)17	नंदलाल करीबन उपस्थित, प्रतिवादी साथ उपस्थित नहीं मौना नहीं नजरबंदी में एक मौका दिया जाता है, पत्रावली वास्ते पक्षा प्रति० दिनांक 12.4.17 को पेश हो।	
12.4.17	वादिभाषण तथा प्रारंभ कार्य स्थगन रखा गया। स्थानांतरी पूर्वानुसार दिनांक 8.5.17 को पेश हो।	अमानिंह रामजीतसिंह } गवाह
9/6/17	आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत आमेर मान न्याय अन्तर्गत धारा 241 कैम्प सैमला कलां में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान उपस्थित, मुकदमा आम में उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन कि उपस्थित ग्राम पारिति में से रूह साइ की गई। नकल जमाबंदी सं. 2066-69 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कि.मी. सं. 343/002, 350/002 वाले ग्राम पीराका किसी भी यह पक्षकारान की कब्जा खातेदारान के लिए [illegible] दर्ज है जिसका किसी को [illegible] उपभोग करने का अधिकार [illegible] खारिज कि जाकर [illegible] के लिए मुफ्त होना दाखिल दफ्तर है।	विनोदकुमार गवाह

(विनोदकुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०
कैम्प सैमला कलां

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 17:25:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner